संख्याः 3071 / 1–10–2008–12(73) / 2008

प्रेषक,

जी0के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ दिनांक 10 जून, 2008

विषयः प्रदेश के सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, ए0एन0एम0 सेन्टर में सूखे से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त धनावंटन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2007–08 में सूखे से प्रभावित तहसील घाटमपुर(कानपुर नगर) हेतु सचिव चिकित्सा अनुभाग–8 के पत्र संख्या–1739 / पाचं–8–2008–4 आपदा / 05टीसी दिनांक 28.5.2008 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 6 जून 2008 में लिए गये निर्णय के कम में प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, ए0एन0एम0 सेन्टर में सूखे से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु औषधि / पोषक तत्व / किट हेतु रू0 26,21,199 / –(रूपये छब्बीस लाख इक्कीस हजार एक सौ निन्यान्बे मात्र) की धनराशि निम्नाकिंत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :–

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि **उक्त स्वीकृत धनराशि से क्लोरीन की गोली का कय एवं वितरण कदापि नही किया जाय।** क्लोरीन की गोली हेतु आवश्यकता पड़ने पर धनराशि विभागीय बजट से व्यय की जाय। आपदा राहत निधि

E/Manoj/Allot.08

की धनराशि से वितरित की जानी वाली औषधि/पोषक तत्व/किट की सूची मा0 जन प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा इसके वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाय।

4. **मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी अनिवार्य रूप से जॉच टीम गठित करेंगे** तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि वितरित की गई औषधि/पोषक तत्व/किट मानक के अनुरूप हैं। औषधि/पोषक तत्व/किट का एक–एक सेम्पुल राहत आयुक्त एवं सचिव, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी को अनिवार्य रूप से **एक सप्ताह में** उपलब्ध कराया जाय। जॉच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं की पूर्ण सूचना/आख्या शासन को अनिवार्य रूप से **02 दिन में** उपलब्ध करा दिया जाय।

5. आपदा राहत निधि की धनराशि से कय की जाने वाली औषधि/पोषक तत्व/किट आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स के अनुसार **प्रख्यात औषधि कम्पनी से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मानको एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कय की जाय।**

6. उक्त आवंटित धनराशि विभाग की मॉग पर वास्तविक आवश्यकता का आकंलन करते हुए जिलाधिकारी द्वारा आहरित की जायेगी। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगें कि आहरित की जाने वाली धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग दिनांक 30 जून, 2008 तक अनिवार्य रूप से हो जाय।

7. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश संख्या–जी0आई0–134/1–11–2007–46/97 दिनांक 31 जुलाई, 2007 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/ शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय। मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट **http//rahat.up.nic.in** पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक **10 जुलाई, 2008 तक** अनिवार्य रूप से शासन को समर्पित कर दिया जाय।

oj/Allot.08

9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या 42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी0के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या : 3071(1)/1–10–2008–12(73)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, कानपुर।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग –5।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग 6/11।
8. चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव

E/Manoj/Allot.08